अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पूनाराम V/S सरकार

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2014/145 श्री एन. एस राजावत श्री LMA-	
28/10/25	पत्रावली पेश की गई। वकलान उपस्थित। पत्रावली पुकारसार वास्ते पेश करने जैसोचित [illegible] उनवान व ~~बहस~~ प्रार्थना द्वारा ~~बहस~~ अपील दिनांक 17/11/25 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
17.11.25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए; अतः अपील अपीलांट अदम पैरवी - अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नत्थसे शामिल हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 212/2014

2014/00145

श्री पूनाराम पुत्र स्वर्गीय श्री छोटू पौत्र स्व. श्री लाला जाति चीता निवासी ग्राम खरेकड़ी, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ।

रेस्पोण्डेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–09–1984 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

मान्यवर,

अपीलाण्ट माननीय न्यायालय से निम्न निवेदन करता है :–

केस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खरेखड़ी तहसील व जिला अजमेर उपस्थित साबिक खसरा नम्बर 23/3 मिन रकबा 00–15–00 कृषि, अन्य कृषि भूमियों के साथ अपीलान्ट के पिता श्री छोटू पुत्र स्व. श्री लाला के तन्हा खातेदारी एवं आधिपत्य की रही है जो कि अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2024–2027 के खाता संख्या 62 में अंकित खातेदारी से पूर्णतया सिद्ध है। जिस चौसाला खसरा नम्बर 23/3 के भू–प्रबन्ध की कार्यवाही पश्चात वर्किंग खसरा नम्बर 06 मिन रकबा 01-19-00 बीघा कायम किये गये तथा आधारभूत खसरा नम्बर 62 रकबा 0.12 है. 64 रकवा 0.30 है. एवं 64/3110 रकबा 0.06 हेक्टर कायम किये गये हैं । जिस भूमि को मूल खातेदार एवं अपीलान्ट के पिता श्री छोटू पुत्र स्वर्गीय लाल के स्वर्गवास पश्चात विधिवत रूप से वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 में अपीलान्ट के नाम खातेदारी में अंकित किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा पर अपने पैतृक समय से आज दिवस तक बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है, परन्तु रेस्पो. संख्या 2 विद्वान उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा अपीलान्ट एवं उनके पूर्वाधिकारी

Scanned with CamScanner